न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद– 143/203 / 11/16

हीरा देवी वनाम राज्य एवं अन्य

–:: आदेश ::–

9.3.18

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी हीरा देवी के द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), सहरसा के आदेश ज्ञापांक 1159–1 दिनांक 01.07.2011 द्वारा अपीलार्थी के चयन मुक्ति आदेश के विरूद्ध क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमंडल, सहरसा में दाखिल किया गया। समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3226 दिनांक 11.08.2015 में वर्णित संशोधित निदेश कंडि 10/10.4 तथा 10/10.7 के आलोक में उप निदेशक कल्याण, कोशी प्रमंडल से अभिलेख प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा दिनांक 08.12.2012 के जॉच में अपीलार्थी दिनांक 13.06.2012 से लगातार अनुपस्थित पायी गयी। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी दिनांक 31.10.2012 एवं 31.01.2013 को निरीक्षण के दौरान भी अनुपस्थित पायी गयी। श्री वैधनाथ ठाकुर, वार्ड सदस्य, वार्ड नंबर– 9 ने दिनांक 18.02.2013 के अपने लिखित प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि हीरा देवी, पति महाराज झा, साकिन– चकभारो, वार्ड नं0– 10 की अस्थायी निवासी है जो 3–4 माह से गॉव से बाहर है।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा दिनांक 20.02.2013 को सुनवाई की तिथि निर्धारित कर अपीलार्थी को सूचित किया था, परन्तु अपीलार्थी न तो उपस्थित हुई और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया। फलतः वाद की सुनवाई के उपरान्त जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), सहरसा द्वारा इन्हे चयन मुक्त कर दिया गया। इसी चयन मुक्ति आदेश के विरूद्ध अपील दाखिल है।

अपीलार्थी का कहना है कि अपीलार्थी चकभारो पंचायत के एकपरहा गॉव के निवासी है तथा वर्ष 2004 से सहायिका पद पर निष्ठापूर्वक कार्य कर रही है। वर्ष 2004 से जून 2012 तक नियमित कार्यरत रहते हुए अचानक बीमार हो गयी। सेविका द्वारा जॉच पदाधिकारी को आवेदिका के बीमार होने की सूचना नहीं दी गयी, जबकि आबेदिका ने समय–समय पर अवकाश के लिए आवेदन दिया था। आवेदिका जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के समक्ष वाद की सुनवाई में इसलिए उपस्थित नहीं हो सकी कि वे दिल्ली स्थित सरकारी अस्पताल में ईलाज करा रही थी, अनुपस्थिति के कारण उन्हें चयन मुक्त कर दिया गया। दिल्ली से लौटकर आने पर उन्हें जानकारी हुई और दिनांक 14.12.2013 को अपील दाखिल कर सेवा मुक्ति आदेश को निरस्त करने की याचना की है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से सरकारी अधिवक्ता को सुना। अभिलेख तथा संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। आवेदिका द्वारा सेविका को समय समय पर आवेदन समर्पित करने का कोई साक्ष्य अभिलेख में नहीं मिला, परन्तु सफदरगंज अस्पताल, नई दिल्ली के चिकित्सा पर्चियों के अवलोकन से स्पष्ट होता है, आवेदिका द्वारा चिकित्साधीन थी।

अतः अपील स्वीकृत किया जाता है तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा का आदेश को निरस्त किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।
9.3.18
जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

9.3.18
जिला पदाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 520-2 / विधि, सहरसा, दिनांक– 30-03-17.

प्रतिलिपि– निम्न न्यायालय अभिलेख मूल में संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
10-3-17